न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —184/2019

अनवान : —

1. संदीप पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

— **वादी**

ब ना म

1. संतलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. कान्ता पुत्री संतलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. नितु पुत्री संतलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **वादी**
श्री सुरजीत बिजारणियां वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 27/02/2020

वादी के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 डीपीएन के खाता सं0 32/31 के मु0 न0 60 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 2.947है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संतलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा देवीलाल की खातेदारी हुआ करती थी। देवीलाल के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी संतलाल के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी संतलाल कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी संतलाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी संतलाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित हेाकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी संदीप पुत्र संतलाल जाति निवासी खचवाना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही मौजा चक 4 डीपीएन संवत 2071—74 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खचवाना प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 5 डीपीएन संवत 2071—74 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने चक 4 डीपीएन के खाता सं0 32/31 के मु0 न0 60 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 2.947है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संतलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही चक 4 डीपीएन के खाता सं0 32/31 के मु0 न0 60 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 2.947है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संतलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज में प्रतिवादी संख्या 01 संतलाल का नाम कलमजन कर तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 3 के द्वारा वादी संदीप के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —184/2019

अनवान : —

1. संदीप पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. संतलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. कान्ता पुत्री संतलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. नितु पुत्री संतलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सुरजीत बिजारणियां की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणां की जाती है कि रोही चक 4 डीपीएन के खाता सं0 32/31 के मु0 न0 60 के किला न0 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 2.947है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संतलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज में प्रतिवादी संख्या 01 संतलाल का नाम कलमजन कर तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 3 के द्वारा वादी संदीप के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। खर्चा वांद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.16 15:04:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: